<u>अपील प्रकरण क्रमांक ए / 323 / 2014</u>

11/09/2014

प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री व्ही0के0 केशरवानी उपस्थित। उत्तरवादी की ओर से श्री एन0आर0 देवांगन, सहायक जनसूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर उपस्थित। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि रिकार्ड में उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उन्हें प्राप्त हो चुकी है वास्तव में वे यह चाहते हैं कि पेशंन प्रकरणों के स्वत्वों के निराकरण के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने जो निर्देश दिये थे उनका पालन किया जाये कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् 03 माह की अवधि को छोड़कर बाकी लंबित ब्याज की राशि की वसूली संबंधित अधिकारियों से करें जिनके कारण भुगतान में विलंब हुआ है। अपीलार्थी की मांग है कि उन्हें ब्याज की राशि दिलाई जाये। इस संबंध में विभाग ने जांच कर यह पाया था कि कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है इसलिए वसूली नहीं की गई है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी इस आदेश में पाया था कि जानकारी दी जा चुकी है। इस प्रकार जो भी अभिलेख रिकार्ड में थे वह प्रदान किये जा चुके हैं परंतु जैसा अपीलार्थी चाहते हैं कि उन्हें ब्याज की राशि का भुगतान कराया जाये वह आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस प्रकार यह पाते हुए कि रिकार्ड में उपलब्ध वांछित जानकारी से संबंधित सभी अभिलेख अपीलाथी को मिल चुके है और वे यह स्वीकार करते हैं एवं यह पाते हुए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। यह द्वितीय अपील अस्वीकार कर समाप्त कर नस्तीबद्ध की जाती है।

सही / –
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त